

भाग-2 (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

16. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड जौनपुर में मरोडा-बनाली-कदूखाल मोटर मार्ग के कि०मी० 03 से कुण्ड तक मोटर मार्ग (कुल लम्बाई-8.125 कि०मी०) के निर्माण हेतु 5.1415 हे० वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खण्ड को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव ।			
(i) राज्य/संघराज्यक्षेत्र	उत्तराखण्ड			
(ii) जिला	टिहरी गढ़वाल			
(iii) वन प्रभाग	नरेन्द्रनगर वन प्रभाग			
(iv) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हे० में)	आरक्षित वन भूमि (हे०)	सिविल सोयम (हे०)	वन पंचायत भूमि (हे०)	कुल भूमि (हे०)
	0.700	0.413	0.000	1.113
(v) वन की कानूनी स्थिति	आरक्षित वन भूमि एवं सिविल सोयम वन भूमि			
17. पूर्वक्षेत्र के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्राप्ति:	—			
18. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौरा:	संलग्न है			
(i) वन का प्रकार	मिश्रित वन			
(ii) वनस्पति का औसत पूर्ण धनत्व	0.40 से 0.50			
(iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना	संलग्न है			
(iv) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यक्रम योजना का नुस्खा	—			
19. भूक्षरण के लिए पूर्वक्षेत्र हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी	संलग्न है			
20. वन भूमि की सीमा से पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी :	लगभग 300 मीटर			
21. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वक्षेत्र में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता :	कोई नहीं			
(i) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा :	कोई नहीं			
(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अल्पवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे	नहीं , इस बावत प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्ताव के संलग्नक प्रपत्र-25 पर तत्संबंधी प्रमाण पत्र चस्पा है ।			

और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं)	
(iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं)	नहीं
(iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं)	नहीं
(v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे	कोई नहीं
22. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें)	नहीं। इस बाबत प्रस्तावक/लोक निर्माण विभाग एवं राजस्व विभाग द्वारा प्रस्ताव के संलग्नक प्रपत्र-37 पर तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र चस्पा है।
23. पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें :	कोई नहीं
(i) क्या भाग- 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है।	इस बाबत प्रस्तावक विभाग एवं वन विभाग द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र प्रस्ताव के संलग्नक प्रपत्र-14 पर चस्पा है।
(ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग किया जा सकता है।	-
24. किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे :	
(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हां/नहीं)	नहीं
(ii) यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्वर्तित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरुद्ध की गई कार्यवाही	नहीं

(iii) क्या अतिकमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां/नहीं)	नहीं
25. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे :	
(i) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति।	प्रस्तावित परियोजना हेतु अपेक्षित 5.1415 हे० के सापेक्ष दुगने 10.283 हे० क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम कुण्ड सिविल सोयम वन भूमि का चयन किया गया है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन एवं मानचित्र प्रस्ताव के संलग्नक प्रपत्र 42 व 42 ए पर चस्पा किये गये हैं।
(ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे दें।	उक्तानुसार
(iii) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न है।	संलग्न है
(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हां/नहीं)।	हां, संलग्न है।
(v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय :	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रु० 23,68,195.00 (रु० तैईस लाख अड़सठ हजार एक सौ पिचानब्बे मात्र) तथा प्रस्तावित मोटर मार्ग के दोनो ओर रिक्त स्थानों पर उचित वृक्षारोपण हेतु रु० 20,97,770.00 (रु० बीस लाख सत्तानब्बे हजार सात सौ सत्तर मात्र)
(vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचानर किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण-पत्र संलग्न हैं (हां/नहीं)।	हाँ
26. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित क्रियाकलापों के समाधात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां/नहीं)।	हाँ
27. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों	वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण की संस्तुति की जाती है।

स्थान :- मुनिकीरेती।

तारीख :- 28-01-2019

हस्ताक्षर

नाम

शासकीय

वनाधिकारी
मुनिकीरेती